

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ० -6/ इले०-विज्ञापन-27/2022/ज०स०नि० - 24.../ रांची, दिनांक -...../

झारखण्ड विज्ञापन नियमावली-2019 के नियम 24.2 के आलोक में विभिन्न माध्यमों को जारी विज्ञापन के लिए विज्ञापन निर्गम एवं भुगतान की शक्ति निम्न प्रकार से प्रत्यायोजित की जाती है:-

क्र. सं.		राज्य की स्वीकृत सूची में शामिल/DAVP दर या दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर	राज्य की स्वीकृत सूची से बाहर/DAVP दर या दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर	विज्ञापन फिल्म/एपिसोड निर्माण वृत्तचित्र		सीधा प्रसारण		स्मारिका	विभिन्न कार्यक्रमों का प्रायोजन	झारखण्ड विज्ञापन नियमावली के अधीन अन्य किसी प्रकार का कार्य जिनका उल्लेख इन कॉलमों में नहीं है
				एजेंसी राज्य की स्वीकृत सूची में शामिल/DAVP दर या दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर	एजेंसी राज्य की स्वीकृत सूची से बाहर/DAVP दर या दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर	चैनल राज्य की स्वीकृत सूची में शामिल/DAVP दर या दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर	चैनल राज्य की स्वीकृत सूची से बाहर/DAVP दर या दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निदेशक	10 लाख तक	1 लाख तक	10 लाख तक	1 लाख तक	10 लाख तक	1 लाख तक	-	-	-
2	विभागीय सचिव	20 लाख तक	10 लाख तक	20 लाख तक	10 लाख तक	20 लाख तक	10 लाख तक	-	-	-
3	विभागीय मंत्री	20 लाख से अधिक	10 लाख से अधिक	20 लाख से अधिक	10 लाख से अधिक	20 लाख से अधिक	10 लाख से अधिक	05 लाख तक	25 लाख तक	25 लाख तक
4	मुख्यमंत्री	-	-	-	-	-	-	05 लाख से अधिक	25 लाख से अधिक	25 लाख से अधिक

- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- पर्व में निर्गत एतद्संबंधी आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
- प्रस्ताव पर वित्त विभाग, झारखण्ड रांची का अनुमोदन प्राप्त है।
- प्रस्ताव पर मा० मुख्य(विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापाक :- का०आ० -6/ इले०-विज्ञापन-27/2022/ज०स०नि०/ दिनांक -...../

प्रतिलिपि :- महालेखाकार झारखण्ड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापाक :- का०आ० -6/ इले०-विज्ञापन-27/2022/ज०स०नि०/

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार, पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापाक :- का०आ० -6/ इले०-विज्ञापन-27/2022/ज०स०नि०

दिनांक -...../


प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई गजट सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग झारखण्ड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

दिनांक - 31.07/23

ज्ञापाक :- का०आ० -6/ इले०-विज्ञापन-27/2022/ज०स०नि० 292/
प्रतिलिपि :-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड रांची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, /सभी उपायुक्त/निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, रांची/प्रधान आप्त सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड रांची/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/निदेशालय के सभी पदाधिकारी/ सभी उपजनसम्पर्क निदेशक/सभी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।